न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 291/2023 दायर तारीख :– 25.10.2023

1. सुखाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी मुण्डलीरणजीतपुरा तहसील कि0 रेनवाल

वादी

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र मालीराम
2. हुक्माराम पुत्र गुटया
3. जगदीश पुत्र मालीराम
4. बनवारी पुत्र मालीराम
   समस्त जाति जाट निवासी मुण्डलीरणजीतपुरा तहसील कि0 रेनवाल
5. आई.सी.आई.सी. आई बैंक लि0 शाखा रायथल जरिये प्रबन्धक
6. एच.डी.एफ.सी बैंक लि0 शाखा चौमू जरिये प्रबन्धक
7. बैंक ऑफ इंडिया शाखा कि0 रेनवाल
8. तहसीलदार तहसील कार्यालय कि.रेनवाल।
9. सब रजिस्टार कि.रेनवाल।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री लक्ष्मण सिंह विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मुकेश बगडिया विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी 1,3,4
श्री मनोज कुमावत विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी 5

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.11.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 407/3,407/4, 408/1, 408/2,410, 411/3 कुल किता–6 कुल रकबा 1.7957 हैक्टैयर में वादी का हिस्सा 5/18 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है शेष हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 648/529 में वादी का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। शेष हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 530 में वादी का हिस्सा 1/2, आराजी खरा नम्बर 420 , 421,425, मे वादी का हिस्सा 1/6, आराजी खसरा नम्बर 408/3, 409/1, 409/2, 416,417,418, 457/2,457/3, 526/1 , 526/2 में वादी का हिस्सा 5/18 राजस्व रिकोहर्ड में दर्ज है। शेष हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल0 4 की सुयंक्त खातेदारी में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसका विधिक विभाजन नहीं हो रखा है। किन्तु मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है। अपने अपने हिस्से पर उपयोग–उपभोग शांति पूर्वक करते आ रहे है। खसरा नम्बर 648/529 में कुआ व होद बना हुआ है। प्रतिवादीगण ने वादी के हक व हिस्से की उक्त आराजी खसरा नम्बर 648/529 में आने जाने के रास्ते व सामलाती होद व कुआ बंद कर रखा है। वर्तमान में बाजोत का समय होने पर जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 ल0 04 को वादग्रस्त भूमि का विभाजन विधिक रूप से करवाने के लिए 15.10.2023 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ल0 04 इंकार हो गये तथा वादग्रस्त भूमि पर मनचाही जगह कब्जा करने व निर्माण करने की धमकी देने के कारण वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण पेश करना आवश्यक हुआ।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1 ,3,4 की ओर से वकील मुकेश बगडिया ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब

प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की सयुंक्त खातेदारी में दर्ज होना व विधिक विभाजन नहीं होना स्वीकार है एंव आराजी खसरा नम्बर 648/529 में प्रार्थी ने होद के स्थित होने का उल्लेख किया है वह गलत है। दिनांक 15.10.2023 की धटना का हवाला दिया है वह महज वाद हैतुक उत्पन्न करने के इरादे से दिया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1,3,4 मुताबिक राजस्व रिकोर्ड वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है । वादग्रस्त आराजीयात के प्रत्येक इंच पर बतौर सहस्वामी मालिकाना हक अधिकार प्राप्त है। सिजमें प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में कतय नहीं है। जिससे न्याय हित में अप्रार्थी संख्या 1,3,4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1,3,4 को काफी परेशानी होगी। प्रार्थी को अप्रार्थीगण को रिकोर्डेड खातेदार होने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाना का अधिकार नहीं है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर रास्ते कायम करके अच्छी में से अच्छी एंव बुरी में से बुरी के आधार पर विधिक रूप से वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किया जाना न्यायोचित्त है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे के खारिज किया जावे। अप्रार्थी–5 की ओर से वकील मनोज कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी 2,7,8,9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी 6 की ओर से वकील अताउल्ला खां ने वकालतनामा पेश किया।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की सयुंक्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर रखा है और अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा वादी के हिस्से की आराजी में आने जोने के रास्ते व कुआ बंद कर रखा है अगर वादी द्वारा बिना विधिक विभाजन वादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य किया गया एंव प्रार्थी की कब्जे काश्त में मजाहमत पैदादा की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जाए। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है तथा वादग्रस्त आराजीयात के प्रत्येक इंच पर बतौर सहखातेदार मालिकाना हक अधिकार रखते है। अतः अप्रार्थीगण अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर आराजीयात के विभाजन करने को सहमत है। कानूनन सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 व सी0पी0सी0 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना आवश्यक है। उक्त सदंर्भ में प्रकरण विश्लेषणानुसार अपेक्षित है।

   1. <u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u> वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार होने तथा मौखिक विभाजन के आधार पर आपसी सहमति के वादग्रस्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होने के आधार पर बंटवारें का दावा प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी के हक व हिस्से की आराजी 648/529 में आने जाने के रास्ते व सामलाती होद व कुआं बंद करने के कारण व वादी के हिस्से की आराजी पर निर्माण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार होने के आधार पर बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन हेतु जवाब पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण रिकोर्डेड

उपखण्ड अधिकारी
... मथाल

खातेदार है। जिनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। वादग्रस्त आराजी के संबंध में उभयपक्षों के हकों व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर निर्धारित होगा। स्थापित विधिक प्रावधानों के अनुसार सयुंक्त खाते की भूमि को भी सहखातेदार बिना भूमि का विभाजन कराए हस्तांतरण नहीं कर सकता है। प्रार्थी वाद ग्रस्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार है जिसे वादग्रस्त आराजी के विभाजन का पूर्ण अधिकार है अतः प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में मामला प्रतीत होता है।

2. अपूरणीय क्षतिः— प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण द्वारा कब्जे काश्त के आधार पर वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु वाद पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा आने जाने के रास्ते बंद करने, सामलाती कुआ नहीं चलाने देने व सामलाती होद की जगह निर्माण की धमकी देने के कारण अपने हको की सुरक्षा हेतु दौराने वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करने का निवेदन किया है। दौराने वाद अगर अप्रार्थीगण द्वारा मनचाही जगह कब्जा करने व निर्माण कार्य करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना प्रबल संभावित है।

3. सुविधा का सतुंलनः— प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। अतः सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूरणीय क्षति व सुविधा का सतुलंन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित होने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर दिनांक 25.10.2023 को जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ठ किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है।

निर्णय दिनांक 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल